

नगरपालिका जाखलमण्डी

नोटिस

नगर पालिका जाखलमण्डी के वार्ड नं० 01 की एरिया सभा सं० 01 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 20.01.2026 को 10:00 बजे एरिया सभा की बैठक Multipurpose Complex प्रथम तल पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजेण्डा निम्न है—

- i. वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
 - ii. विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
 - iii. दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
 - iv. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।
- 2 अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने की कष्ट करें।


सचिव,
एरिया सभा संख्या 1
वार्ड न० 1
नगरपालिका जाखलमण्डी

नगरपालिका जाखलमण्डी

नोटिस

नगर पालिका जाखलमण्डी के वार्ड नं० 02 की एरिया सभा सं० 02 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 20.01.2026 को 02:30 बजे एरिया सभा की बैठक Multipurpose Complex में द्वितीय तल पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजेण्डा निम्न है—

- i. वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- ii. विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- iii. दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- iv. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

2 अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने की कष्ट करें।


सचिव,
एरिया सभा संख्या 2
वार्ड न० 2
नगरपालिका जाखलमण्डी

नगरपालिका जाखलमण्डी

नोटिस

नगर पालिका जाखलमण्डी के वार्ड नं० 03 की एरिया सभा सं० 03 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 21.01.2026 को 10:00 बजे एरिया सभा की बैठक Multipurpose Complex में प्रथम तल पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजेण्डा निम्न है—

- i. वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- ii. विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- iii. दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- iv. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

2 अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने की कष्ट करें।


सचिव,
एरिया सभा संख्या 3
वार्ड न० 3
नगरपालिका जाखलमण्डी

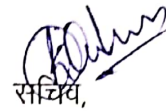
नगरपालिका जाखलमण्डी

नोटिस

नगर पालिका जाखलमण्डी के वार्ड नं० 04 की एरिया सभा सं० 4 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 21.01.2026 को 2:30 बजे एरिया सभा की बैठक Multipurpose Complex में द्वितीय तल पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजेण्डा निम्न है—

- i. वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- ii. विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- iii. दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- iv. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

2 अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने की कष्ट करें।



सचिव,

एरिया सभा संख्या 4

वार्ड नं० 4

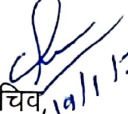
नगरपालिका जाखलमण्डी

नगरपालिका जाखलमण्डी

नोटिस

नगर पालिका जाखलमण्डी के वार्ड नं० 05 की एरिया सभा सं० 05 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 20.01.2026 को 10:00 बजे एरिया सभा की बैठक Multipurpose Complex में प्रथम तल पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजेण्डा निम्न है—

- i. वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
 - ii. विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
 - iii. दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
 - iv. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।
- 2 अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने की कष्ट करें।

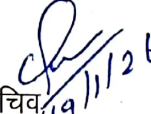

सचिव, 19/1/26
एरिया सभा संख्या 05
वार्ड न० 5
नगरपालिका जाखलमण्डी

नगरपालिका जाखलमण्डी

नोटिस

नगर पालिका जाखलमण्डी के वार्ड नं० 06 की एरिया सभा सं० 06 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 20.01.2026 को 02:30 बजे एरिया सभा की बैठक Multipurpose Complex में द्वितीय तल पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजेण्डा निम्न है—

- i. वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
 - ii. विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
 - iii. दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
 - iv. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।
- 2 अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने की कष्ट करें।


/सचिव 19/1/26
एरिया सभा संख्या 6
वार्ड न० 6
नगरपालिका जाखलमण्डी

नगरपालिका जाखलमण्डी

नोटिस

नगर पालिका जाखलमण्डी के वार्ड नं० 07 की एरिया सभा सं० 07 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 21.01.2026 को 10:00 बजे एरिया सभा की बैठक Multipurpose Complex में प्रथम तल पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजेण्डा निम्न है—

- i. वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
 - ii. विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
 - iii. दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
 - iv. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।
- 2 अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने की कष्ट करें।

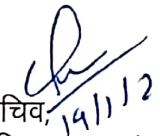

सचिव, 19/1/26
एरिया सभा संख्या 7
वार्ड न० 7
नगरपालिका जाखलमण्डी

नगरपालिका जाखलमण्डी

नोटिस

नगर पालिका जाखलमण्डी के वार्ड नं० ०८ की एरिया सभा सं० ०८ के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, २००८ के प्रावधानों अनुसार दिनांक २१.०१.२०२६ को २:३० बजे एरिया सभा की बैठक Multipurpose Complex में द्वितीय तल पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के १० प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजेण्डा निम्न है—

- i. वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
 - ii. विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
 - iii. दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
 - iv. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।
- २ अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने की कष्ट करें।

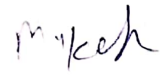

सचिव, १५/१/२६
एरिया सभा संख्या ८
वार्ड न० ८
नगरपालिका जाखलमण्डी

नगरपालिका जाखलमण्डी

नोटिस

नगर पालिका जाखलमण्डी के वार्ड नं० 09 की एरिया सभा सं० 09 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 20.01.2026 को 10:00 बजे एरिया सभा की बैठक Multipurpose Complex में प्रथम तल पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजेण्डा निम्न है—

- i. वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
 - ii. विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
 - iii. दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
 - iv. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।
- 2 अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने की कष्ट करें।

सचिव, 
एरिया सभा संख्या 9
वार्ड नं० 9
नगरपालिका जाखलमण्डी

नगरपालिका जाखलमण्डी

नोटिस

नगर पालिका जाखलमण्डी के वार्ड नं० 10 की एरिया सभा सं० 10 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 21.01.2026 को 02:30 बजे एरिया सभा की बैठक Multipurpose Complex में द्वितीय तल पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजेण्डा निम्न है—

- i. वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- ii. विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- iii. दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- iv. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

2 अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने की कष्ट करें।

सचिव, *myken2*
एरिया सभा संख्या 10
वार्ड न० 10
नगरपालिका जाखलमण्डी

नगरपालिका जाखलमण्डी

नोटिस

नगर पालिका जाखलमण्डी के वार्ड नं० 11 की एरिया सभा सं० 11 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 21.01.2026 को 10:00 बजे एरिया सभा की बैठक Multipurpose Complex में प्रथम तल पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजेण्डा निम्न है-

- i. वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
 - ii. विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
 - iii. दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
 - iv. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।
- 2 अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने की कष्ट करें।

सचिव, *Mukul*
एरिया सभा संख्या 11
वार्ड नं० 11
नगरपालिका जाखलमण्डी

नगरपालिका जाखलमण्डी

नोटिस

नगर पालिका जाखलमण्डी के वार्ड नं० 12 की एरिया सभा सं० 12 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 20.01.2026 को 10:00 बजे एरिया सभा की बैठक Multipurpose Complex में प्रथम तल पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजेण्डा निम्न है—

- i. वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- ii. विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- iii. दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
- iv. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।

2 अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने की कष्ट करें।

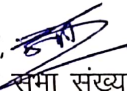
सचिव 
एरिया सभा संख्या 12
वार्ड न० 12
नगरपालिका जाखलमण्डी

नगरपालिका जाखलमण्डी

नोटिस

नगर पालिका जाखलमण्डी के वार्ड नं० 13 की एरिया सभा सं० 13 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 20.01.2026 को 2:30 बजे एरिया सभा की बैठक Multipurpose Complex में द्वितीय तल पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजेण्डा निम्न है—

- i. वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
 - ii. विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
 - iii. दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
 - iv. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।
- 2 अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने की कष्ट करें।

सचिव, 
एरिया सभा संख्या 13
वार्ड न० 13
नगरपालिका जाखलमण्डी

नगरपालिका जाखलमण्डी

नोटिस

नगर पालिका जाखलमण्डी के वार्ड नं० 14 की एरिया सभा सं० 14 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों अनुसार दिनांक 21.01.2026 को 10:00 बजे एरिया सभा की बैठक Multipurpose Complex में प्रथम तल पर आयोजित की जायेगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है। इस बैठक का एजेण्डा निम्न है—

- i. वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
 - ii. विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
 - iii. दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
 - iv. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेण्डा।
- 2 अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने की कष्ट करें।

सचिव,
एरिया सभा संख्या 14
वार्ड नं० 14
नगरपालिका जाखलमण्डी